पत्र संख्या– 1 / प्रा0आ0–0–3–08 / 2017.................... / आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अनिरुद्ध कुमार भा0प्र0से0,
अपर सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
सुपौल / वैशाली / मधेपुरा / कटिहार / सारण / समस्तीपुर / गोपालगंज / नालंदा / खगड़िया।

पटना–15, दिनांक–

विषयः– वित्तीय वर्ष 2017–18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय शीर्ष–2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष–02 बाढ़ चक्रवात आदि, लघु शीर्ष–101–आनुग्रहिक राहत, उपशीर्ष–0001–निःसहायों एवं विकलांगों को नगद अनुदान विपत्र कोड–39–2245021010001 मद में ₹34.00 लाख, उपशीर्ष –0002–खाद्यान्न की आपूर्ति विपत्र कोड– 39–2245021010002 मद में ₹556.54 लाख, लघुशीर्ष–104–चारे की पूर्ति, उपशीर्ष–0001–चारे की पूर्ति, विपत्र कोड–39–2245021040001 मद में ₹4.30 लाख, लघुशीर्ष–105–पशु चिकित्सा, उपशीर्ष–0001–पशुओं के लिए दवा, विपत्र कोड–39–2245021050001 मद में ₹0.43 लाख, लघुशीर्ष –112–जनसंख्या का निष्क्रमण, उपशीर्ष–0002– जनसंख्या का निष्क्रमण, विपत्र कोड–39–2245021120002 मद में ₹1169.629 लाख कुल ₹ 1764.896 लाख (सतरह करोड़ चौसठ लाख नवासी हजार छः सौ रूपये) आवंटन की स्वीकृति।

आदेशः–स्वीकृत ।

2 इस राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय शीर्ष–2245 प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष–02 बाढ चक्रवात आदि के लघु शीर्ष 104–चारे की पूर्ति, उपशीर्ष 0001–चारे की पूर्ति तथा लघुशीर्ष 105 पशु चिकित्सा, उपशीर्ष पशुओं के लिए दवा के अन्तर्गत मूल बजट उपबंध एवं लघुशीर्ष–101– आनुग्रहिक राहत, उपशीर्ष 0001 निःसहायों एवं विकलांगों को नगद अनुदान के अन्तर्गत वित्त विभाग, बिहार के ज्ञापांक – ब-17/ बी0सी0एफ0 आपदा 161 / 2017 / 36 सी0एफ0 दिनांक 07.09.17 एवं विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या –289 / आ0प्र0 दिनांक –07.09.17, लघु शीर्ष 101–आनुग्रहिक राहत, उपशीर्ष–0002–खाद्यान्न की आपूर्ति, विषय शीर्ष–37 01–अनुग्रह अनुदान के अन्तर्गत वित्त विभाग, बिहार के ज्ञापांक – ब–17/ बी0सी0एफ0–आपदा–161 / 2017 / 37 सी0एफ0 दिनांक –07.09.17 एवं विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या –290 / आ0प्र0 दिनांक 07.09.17, लघु शीर्ष–101 आनुग्रहिक राहत, उपशीर्ष–0002–खाद्यान्न की आपूर्ति, विषय शीर्ष–21 03 आहार / पथ्य के अन्तर्गत वित्त विभाग, बिहार के ज्ञापांक – ब–17/ बी0सी0एफ0–आपदा–161 / 2017 / 23 सी0एफ0 दिनांक 30.08.17 एवं विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या –263 / आ0प्र0 दिनांक –30.08.17 तथा लघुशीर्ष 112 जनसंख्या का निष्क्रमण, उपशीर्ष–0002–जनसंख्या का निष्क्रमण मद के अन्तर्गत वित्त विभाग, बिहार के ज्ञापांक – ब-17/ बी0सी0एफ0–आपदा–161 / 2017 / 39 सी0एफ0 दिनांक 07.09.17 एवं विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या –292 / आ0प्र0 दिनांक –07.09.17 द्वारा बिहार आकस्मिकता निधि से स्वीकृत राशि से विकलनीय होगा।

3 उपर्युक्त 9 (नौ) जिलों को लघुशीर्ष / उपशीर्षवार / विषयशीर्षवार एवं विपत्र कोड सहित पूर्व एवं वर्त्तमान आवंटित राशि की विवरणी अनुलग्नक I के रूप में संलग्न है.

4 यह आवंटन बाढ के मद्देनजर जिला पदाधिकारी, सुपौल के पत्रांक 1606-2 दिनांक 07.12.17 / वैशाली के पत्रांक 1106 दिनांक 22.12.17 / मधेपुरा के पत्रांक 999 दिनांक 23.12.17 एवं 998 दिनांक 23.12.17 / कटिहार के पत्रांक 1537 दिनांक 30.12.17 एवं 1536 दिनांक 23.12.17 / सारण के पत्रांक 1309 दिनांक 14.12.17 एवं 1239 दिनांक 23.11.17 / समस्तीपुर के पत्रांक 1205 दिनांक 11.12.17 / गोपालगंज के पत्रांक 709 दिनांक 08.12.17 एवं 708 दिनांक 08.12.17 / नालंदा के पत्रांक 1153 दिनांक 20.11.17 / खगड़िया के पत्रांक 122 दिनांक 14.11.17 द्वारा की गई अधियाचना एवं उपलब्ध बजट उपबंध के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

5 आवंटित राशि का व्यय विभागीय मानदर के आलोक में उसी मद में किया जाय जिस मद के लिए राशि का आवंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नही किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।

6. आपदा प्रभावित परिवारों को देय अनुदान की राशि का भुगतान करने के संबंध में विभागीय पत्रांक 1642/आ0प्र0 दिनांक 22.04.16 द्वारा निर्गत निदेश का पालन सुनिश्चित किया जाय।

7 आवंटित की गई राशि की निकासी यथासंभव **Fully Vouched Bill** के माध्यम से ही की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए0सी0 विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी0सी0 बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति, व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र

में उपयोगिता प्रमाण पत्र इस विभाग को शीघ्रातिशीघ्र एवं अचूक रूप से दिनांक 15.03.2018 तक अवश्य भेज दिया जाय।

8. पूर्व आवंटित राशि, जिसकी निकासी अग्रिम तौर पर की गई है, यदि पूर्णतः व्यय नही हो पाय, तो 15.03.2018 तक उसे कोषागार में जमा करा दिया जाय।

9. आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/ उप मुख्य शीर्ष- लघु शीर्ष/ उपशीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/ उपशीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़ं के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

10. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561[वि0 (2)] दिनांक–17.4.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। **बिहार आकस्मिकता निधि से उपबंधित राशि के आलोक में व्यय होनेवाली राशि के लिये तैयार किये गए विपत्र/ विपत्रों के ऊपर बड़े अक्षरों में लाल स्याही से "8000–आकस्मिकता निधि" अंकित कराया जाय।**

11. यदि उपरोक्त आवंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक 15.03.2018 तक निश्चित रूप से कर दें अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

12. इस आवंटन आदेश के प्राप्ति के पश्चात पत्र की एक प्रति पर "आवंटन प्राप्त हुआ", यह सम्पुष्टि उल्लिखित करते हुए तुरंत रिटर्न फैक्स से विभाग को सूचित किया जाय।

13. इस आवंटन की सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना, वित्त (बजट) को भी दी जा रही है। इसकी प्रतिलिपि संबंधित कोषागार पदाधिकारी को दी जा रही है।

14. मासिक व्यय प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 7वीं तारीख तक अनिवार्य रूप से भेजना सुनिश्चित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

अपर सचिव

ज्ञापांक-../आ0प्र0, पटना-15, दिनांक

प्रतिलिपिः महालेखाकार, बिहार, पटना/ वित्त विभाग (बजट) पटना/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

अपर सचिव

ज्ञापांक-../आ0प्र0, पटना 15, दिनांक

प्रतिलिपिः संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाइ हेतु प्रेषित।

ह0/-

अपर सचिव

ज्ञापांक-../आ0प्र0, पटना 15, दिनांक-

प्रतिलिपिः संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

अपर सचिव

ज्ञापांक –../आ0प्र0, पटना 15, दिनांक

प्रतिलिपिः माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

अपर सचिव

ज्ञापांक-.........132........../आ0प्र0, पटना-15, दिनांक 17/1/18

प्रतिलिपिः विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ विशेष कार्य पदाधिकारी (बजट)/ सांख्यिकी पदाधिकारी/ प्रशाखा पदाधिकारी (बजट)/ कार्यवाह सहायक/ आइ0टी0 मैनेजर/प्रभारी, राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/1/18

अपर सचिव

E:\All Report\From April 2017-18\Budget\Proposed Allotment 2017-18\Pre Flood Allotment (15.01.18) doc 2017 18.doc